(371)

Speed Post

F.No. DGET-A-12018/04/2010 TA-II

भारत सरकार

Government of India

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

Ministry of Labour & Employment

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय

Directorate General of Employment & Training

श्रम शक्ति भवन/Shram Shakti Bhawan
नई दिल्ली /New Delhi-110001
दिनांक/Dated the 3rd January,2013

To

All the field institutes
Under Training Directorate (except WOT).

Subject :- Forwarding of notification relating to Recruitment Rule for the post of Multi Tasking Staff (MTS).- regarding.

Sir,

I am directed to forward herewith the copy of Recruitment Rule for the post of Multi Tasking Staff (MTS).

Encl :- As above

Yours faithfully

(Dilip S.Kumbhare)
Section Officer
Tel.No.-011- 23355426

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1502—1506

Dated 6-10-2012

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2012

सा.का.नि. 246.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रशिक्षण निदेशालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम 2002 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के बहुकार्य कर्मचारीवृंद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (बहुकार्य कर्मचारीवृंद) भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

(3) ये निम्नलिखित एककों को लागू होंगे, अर्थात् :–

(i) चेन्नई इकाई जिसमें उन्नत प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई; प्रादेशिक शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, चेन्नई और मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालीकट समाविष्ट हैं ।

(ii) हैदराबाद एकक, जिसमें उन्नत प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद; प्रादेशिक शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद और इलैक्ट्रानिक और प्रक्रिया नियंत्रण उपकरण के लिए उच्च प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद समाविष्ट हैं ।

(iii) बंगलौर एकक, जिसमें फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर और उच्चतर हाई-टैक संस्थान, बंगलौर समाविष्ट हैं ।

(iv) मुंबई इकाई, जिसमें उच्च प्रशिक्षण संस्थान मुंबई और प्रादेशिक शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, मुंबई समाविष्ट हैं ।

(v) लुधियाना एकक, जिसमें उच्च प्रशिक्षण संस्थान, लुधियाना; प्रादेशिक प्रशिक्षु, प्रशिक्षण निदेशालय, फरीदाबाद और मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हलद्वानी समाविष्ट हैं ।

(vi) कानपुर इकाई, जिसमें उच्च प्रशिक्षण संस्थान कानपुर; प्रादेशिक प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, कानपुर; मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर समाविष्ट हैं ।

(vii) देहरादून एकक, जिसमें इलैक्ट्रानिकी और प्रक्रिया नियंत्रण उपकरण के लिए उच्च प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून समाविष्ट हैं ।

(viii) कोलकाता एकक, जिसमें उन्नत प्रशिक्षण संस्थान हावड़ा; केन्द्रीय स्टाफ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता, प्रादेशिक प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, कोलकाता; मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चोदवार (उड़ीसा) समाविष्ट हैं ।

(ix) जमशेदपुर एकक जिसमें फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर समाविष्ट है।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में यथा विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति, —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **चपरासी के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को होमगार्ड के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने का दायित्व.**–इन नियमों के अधीन चपरासी के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति सिवाय उनके जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं तीन वर्ष की अवधि के लिए होमगार्ड के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया होना चाहिए परन्तु यह कि कमांडेंट जनरल, होमगार्ड उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं किसी व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षण की अवधि में किसी प्रशिक्षण के अनुपालन स्तर की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण की अवधि को कम करके दो वर्ष कर सकता है ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन-बैंड और ग्रेड वेतन	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहु कार्य कमचारीवृंद (तत्कालीन समूह 'घ' पद दफ्तरी चपरासी या संदेश वाहक, चौकीदार या गेटकीपर, सफाई वाला, माली, कुशल कुली, छात्रावास परिचर, ड्रेसर, नर्सिंग परिचालक या वार्ड बॉय	424* (2012) *इकाईवार विघटन हैदराबाद 62 मुंबई 43 लुधियाना 42 कानपुर 52 देहरादून 14 कोलकाता 98 बंगलौर 38 चेन्नई 70 जमशेदपुर 05 कुल 424 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, (रु. 5200—20200) + ग्रेड वेतन रु. 1800	अचयन	**टिप्पण 1:** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, संघ राज्यक्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप या संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. यूनिट का ज्येष्ठतम निदेशक —अध्यक्ष 2. रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के किसी कार्यालय से स्थापन मामलों में व्यवहार करने वाले एकक से समूह 'क' अधिकारी —सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[सं. डीजीईटी-ए-12018/04/2010-टीए-II]

एन. श्रीकुमार, अवर सचिव

(Directorate General of Employment and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2012

G.S.R. 246.—In exercise of the powers, conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of Directorate of Training, Directorate General of Employment and Training (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of 'Multi Tasking Staff' in the Directorate General of Employment and Training, namely:-

1. Short title, commencement and applicability.— (1) These Rules may be called the Directorate General of Employment and Training, (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette,

(3) These Rules shall be extended to the following units:-

(i) Chennai Unit comprising Advanced Training Institute, Chennai, Central Training Institute, Chennai; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Chennai and Model Industrial Training Institute, Calicut.

(ii) Hyderabad Unit comprising Advanced Training Institute, Hyderabad; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad and Advanced Training Institute for Electronic and Process Instrumentation, Hyderabad.

(iii) Bangalore Unit comprising Foremen Training Institute, Bangalore and Apex Hi-Tech Institute, Bangalore.

(iv) Mumbai Unit comprising Advanced Training Institute, Mumbai and Regional Directorate of Apprenticeship Training, Mumbai.

(v) Ludhiana unit comprising Advanced Training Institute, Ludhiana; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Faridabad and Model Industrial Training Institute, Haldwani.

(vi) Kanpur unit comprising Advanced Training Institute, Kanpur; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Kanpur and Model Industrial Training Institute, Jodhpur.

(vii) Dehradun Unit comprising Advanced Training Institute for Electronics and Process Instrumentation, Dehradun.

(viii) Kolkata unit comprising Advanced Training Institute, Howrah; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Kolkata; Central Staff Training And Research Institute, Kolkata and Model Industrial Training Institute, Choudhwar (Orissa).

(ix) Jamshedpur Unit comprising Foremen Training Institute, Jamshedpur.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the pay band, grade pay and scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualification etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No persons,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or .

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these Rules.

5. Power to Relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons.

6. Liability of persons appointed as Peons to undergo training as Home Guards.—A person appointed as peon under these rules, excepting those who are physically handicapped shall undergo training as Home Guard for a period of three years, provided that the Commandant General, Home Guards, may having regard to the performance of any standard of training achieved by any person during the period of training reduce such period to two years for reasons to be recorded in writing.

7. Saving.—Nothing in these Rules shall effect reservations, relaxation of the age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for Direct Recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi Tasking Staff(Erst-while Group 'D' Posts of Daftary, Peon or Messenger,	424* (2012) Unit-wise break up Hyderabad 62 Mumbai 43 Ludhiana 42 Kanpur 52	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Pay Band-1, ₹5200—20200+ Grade Pay ₹ 1800	Non-Selection	Between 18 and 25 years of age. **Notes : 1.** The crucial date for determing the age limit, shall in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for

(1)	(2)	(6)
Chowkidar or Gatekeeper, Safaiwala, Mali, Skilled Coolie, Hostel Attendant, Dresser, Nursing Attendant or Ward Boy)	Dehradun 14 Kolkata 98 Bangalore 38 Chennai 70 Jamshedpur 05 Total 424 *Subject to variation depending on workload.	those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashimr State, Lahaul and Spitit District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). **2.** In respect of posts, the appointment to which are made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall in each case be the last date upto which the Employment Exchange are asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Matriculation or equivalent pass	Not applicable	Two years

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
(10)	(11)
By Direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Senior most Director in the Unit —Chairman 2. A Group 'A' Officer from any office of Directorate General of Employment and Training in the Unit dealing with Establishment matters —Member 3. A Group 'A' Officer of another Central Government Office —Member	Not applicable.

[No. DGET-A-12018/04/2010-TA-II]

N. SREEKUMAR, Under Secy.

3815 Lab. & Emp./12-2

MGIPRRND—3815 Lab. & Emp./12—100 Copies.